पर्दा

12

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तअला के लिये हैं जो सब जहानों का पालने वाला है। हम उसी की तअरीफ़ करते और उसी का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह के सिवाए कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है। कोई उसका साझी व शरीक नहीं और मुहम्मद सल्लललाहु अलेहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

अल्लाह की बेशुमार रहमतें, बरकतें और सलामती नाज़िल हो मुहम्मद सल्ल. पर और उनकी आल व औलाद और असहाब पर ।

अम्मा बअद !

इस्लाम की आमद से पहले इन्सानी समाज में औरत का कोई खास मकाम न था। औरत को कहीं मर्द के पाकीज़ा दामन पर दाग़ तो कहीं घर का सामान समझा जाता था। कोई उसे शैतान तो कोई हमेशगी की लानत का हक़दार समझता था। कोई उसे इन्सानियत के चमन (बाग़) का कांटा नाम देता था। लेकिन इस्लाम ने नेक औरत को कायनात की सबसे क़ीमती और हसीन चीज़ कहा। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने फ़रमाया ''दुनिया सारी की सारी सरमाया और फ़ायेदा है और दुनिया का सबसे क़ीमती सर्माया नेक औरत है।'' (मुस्लिम–2693, नसाई–3237)

इस्लाम चूंकि दीने फ़ितरत है। इसलिए उसकी सारी तालीमात (शिक्षाएं) इन्सानी मिजाज और तबियत के ऐन मुताबिक़ हैं। मर्द व औरत दोनों के बीच फ़ितरी और जिस्मानी फ़र्क़ होने के बावजूद अल्लाह तअला ने दोनों को बराबरी का दर्जा दिया है। इर्शादे बारी तअला है– ''बेशक! हमने औलादे आदम (मर्द हो या ओरत) को इज़्ज़तदार बनाया है (इस्रा–17, आयत–70)

और उसे हया (शर्म) का लिबास पहनाया। जिससे वोह अपने क़ाबिले–हया जिस्म (छिपाने योग्य अंगों) को छिपा सके। अल्लाह तअला ने फ़रमाया ''ऐ आदम की औलाद! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे पर्देदार जिस्म को छिपाता भी है और तुम्हारी ख़ूबसूरती का सामान भी है।'' (आराफ़–7, आयत–26)

मर्दों के लिए छिपाने लायक़ जिस्म नाफ़ से घुटने के नीचे तक का हिस्सा है और औरत के लिए पूरा जिस्म छिपाने लायक़ है। ज़रूरत के वक़्त सिर्फ़ चेहरा और हाथ खोलने की इजाज़त है।

मर्द की फ़ितरत में औरत की मुहब्बत समो दी गई है। इस दुनिया की सारी खूबसूरती औरत के मुक़ाबले में हेच (तुच्छ) है। ख़ालिके कायनात ने फ़रमाया ''लोगों के लिए औरतों की मुहब्बत व चाहत संवार दी गई है।'' (आले इम्रान 3–14 आयत) मर्द व औरत दोनों का चोली दामन का साथ है। दोनों की जिन्स अलग होने के बावजूद दोनों एक–दूसरे के लिए जरूरी हैं। इर्शादे बारी तअला है– ''औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए लिबास (पोशाक) हैं।''

बक़रा 2–187)

एक का सुकून दूसरे से जुड़ा हुआ है। उनका एक–दूसरे से अलग रहना फ़ितरत के तक़ाज़ों को तार–तार करना है। ''अल्लाह की निशानीयों में से एक निशानी यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की औरतें पैदा की। ताकि उनके जरिये सुकून

हासिल कर सको।" (रूम 30, आयत–21)

इस्लाम ने औरत को घर की मलिका बनाया जबकि तहज़ीबे जदीद ने उसे घर से निकाल कर सामाजिक ज़िम्मेदारियों में लगा दिया। जिसकी वजह से औरत न घर में अपना मक़ाम ठीक से बाकी रख सकी और ना घर से बाहर की ज़िम्मदारियों को निभा सकी। बल्कि इन दोहरी ज़िम्मेदारीयों के बीच उलझ कर रह गई। अगर हमारी बहनें–बेटियां दीने इस्लाम की रोशन तालीमात को अपनी ज़िन्दगी का नमूना बना लें तो दुनिया व आख़ेरत दोनों की भलाईयां अपने दामन में समेट सकती हैं। औरत की फ़ितरी पाकी इस्लाम के क़िले में महफ़ूज़ है। यहां उसकी हिफ़ाज़त का हर मुमकिन और माकूल इन्तेज़ाम है। जिसका एक ज़रिया "पर्दा" है।

कुदरती तौर पर चूंकि मर्द व औरत दोनों में एक–दूसरे के लिए कशिश होती है। इसलिए अल्लाह तअला ने उन्हें बुराई से बचाने के लिए पहले मर्दों को हुक्म दिया कि "अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।" (नूर 24–आयत–30)

बुरैदह रज़ि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने अली रज़ि. से फ़रमाया "पहली नज़र के बाद दूसरी नज़र मत डाल। बेशक पहली नज़र तेरे लिये है और दूसरी तेरे लिए नहीं। (मुस्लिम–5923, अबुदाऊद जिल्द 2–381)

अबु हुरैरा रज़ि. से रिवायत है कि रसूल सल्ल. ने फ़रमाया" (गलत) देखना आंख का ज़िना है। (ग़लत) बोलना ज़बान का ज़िना है। नफ़्स चाहत और ख़्वाहिश करता है और शर्मगाह इन बातों को सच या झूठ साबित करती है।" (बुख़ारी–6243, मुस्लिम6989)

इर्शादे बारी तअला है "बेशक! वह ईमान वाले कामयाब हो गये जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते है। सिवाए अपनी बीवियों और लौंडियों के और जो लोग उसके सिवा तलाश करते हैं, वह हद से गुज़रने वाले हैं।"(मुअमिनून 23, आयत–1 और 5–6–7)

एक और जगह फ़रमाया "ऐ ईमान वालों! जब तुम को औरतों से कोई चीज़ या सामान मांगना पड़े तो पर्दे के पीछे से मांग सकते हो। यह तुम्हारे और उन (औरतों) के लिए दिल की पाकीज़गी का बहुत ही अच्छा तरीक़ा है।" (अहज़ाब 33, आयत–53)

हर मुस्लिम औरत को चाहिये कि ग़ैर मेहरम मर्दो (ऐसे मर्द जिनसे–निकाह जाइज़ है) से पर्दा करे। "पर्दा" दरअसल औरत के बनाव सिगांर और हुस्नो–जमाल को छिपाने का नाम है। इस जरूरत को जो चादर या बुर्क़ा पूरा करे, वह शरई पर्दा है।

"पर्दा" कुरआने मजीद की रोशनी में

1. ऐ नबी (सल्ल.)! मोमिना औरतों से कह दो कि वोह अपनी निगाहें नीची रखा करें। अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें और अपनी ज़ीनत (सिंगार) किसी पर ज़ाहिर न करें। सिवाए उसके जो मजबूरी से खुला रहे और सीनों पर अपनी ओढ़नी (दुपट्टा) बराबर डाले रहें। अपना सिंगार सिर्फ़ अपने शौहर के लिए करें। किसी और पर ज़ाहिर न होने दें। ......इस बात का भी ख़्याल रखें कि पायल की झंकार की आवाज़ लोगों के कानों तक न पहुंचे।" (नूर 24–आयत–31)

एक और जगह फ़रमाया "ग़ैर मर्दो से बात करने में नज़ाकत का अन्दाज़ न अपनाओ। वरना जिसके दिल में रोग होगा उसके दिल में ग़लत ख़्याल पैदा हो सकता है।" (अहज़ाब 33–आयत–32)

और फ़रमाया "अपने घरों में शराफ़त से रहो। दिखावे के लिए बनाव–सिंगार (सजधज) छोड़ दो। (अहज़ाब–33, आयत–33)

2. बड़ी उम्र की औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद नहीं रही। अगर वोह चादर उतार दें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। बशर्ते कि वह अपनी ज़ीनत को न दिखाती फिरें। अगर वोह इससे भी बचें तो यह उन के हक़ में बेहतर है। (नूर-24, आयत-60)

(यहां) चादर उतार देने से मुराद वोह कपड़े हैं जो आम लिबास के ऊपर इसलिए ओढ़े जाते हैं कि जिस्म के वोह हिस्से जो आम लिबास से अमूमन बाहर रहते हैं जैसे चेहरा व हाथ। वह छुप जाएं।

3. "ऐ नबी (सल्ल.)! अपनी बीवियों, बेटियों और मुस्लिम औरतों से कह दो कि जब वोह (घर से) बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादर लटका लिया करें। जिसकी वजह से ये अलग से पहचान ली जायेंगी। फिर उन्हें सताने की कोई हिम्मत न करेगा।" (अहज़ाब 33, आयत-59) इस आयत में अल्लाह ने चादर के लिए "जुलबाब" का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जुलबाब अरबों की ज़ुबान में ऐसी चादर को कहा जाता है जो सारे बदन को ढ़ांप ले।

इस आयत की तफ्सीर में इब्ने अब्बास रज़ि. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने ईमान वाली औरतों को हुक्म दिया है कि जब वह किसी जरूरत से अपने घर से बाहर निकलें तो अपने सरों के ऊपर से बड़ी चादरों के ज़रिये अपना चेहरा ढ़ांप ले और एक आंख रास्ता देखने के लिए ज़ाहिर करें। (तफ्सीर इब्ने कसीर-जिल्द 4 सफ़ा-317)

उम्मे सल्मा रज़ि. का बयान है कि जब यह आयत 59/33 नाज़िल हुई तो अन्सार की औरतें घरों से निकलते वक़्त इस सुकून और इतमीनान से चलती गोया उनके सरों पर परिन्दे बैठे हैं और उन्होंने काले रंग की चादरें लपेट रखी होती। (अबुदाऊद-जिल्द-3 हदीस-701)

अली रज़ि. के शागिर्द उबैदाह अल सलमानी रह का बयान है कि मुस्लिम औरतें सरों के ऊपर से चादरें इस तरह ओढ़ा करती थी कि आंखों के अलावा कुछ भी ज़ाहिर ना होता। वह भी इसलिए कि रास्ता देख सकें।

चेहरे का पर्दा

(क) जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्ल. ने फ़रमाया "जब तुम में से कोई शख़्स किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे तो उसे चाहिये कि अगर मुमकिन हो तो उस औरत को एक नज़र देख ले।" (तिर्मिज़ी-957, इब्ने माजा-1865 नसाई-3240)

(ख) मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ि. का बयान है कि मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम भेजा तो मुझसे रसूल सल्ल. ने फ़रमाया "उसकी तरफ़ एक नज़र देख ले। (तिर्मिज़ी-957, इब्ने माजा-1865, नसाई-3240)

इन दो अहादीस से पता चला कि अगर कोई पैग़ामे निकाह के लिए देखे तो उसका यह देखना जाइज़ है वरना यह गुनहगार होगा। हर शख़्स जानता है कि देखने वाला चेहरे का जायज़ा लेना चाहता है। जिस्म के बाक़ी हिस्सों का हुस्न उसके बाद निहारा जाता है।

2. उम्मे अतिया रज़ि. का बयान है कि नबी सल्ल. ने जब औरतों को हुक्म दिया कि वोह भी ईदगाह को जाएं तो वोह कहने लगी-ऐ अल्लाह के रसूल- सल्ल.! हम में से कुछ के पास चादरें नहीं होती तो आप सल्ल. ने फ़रमाया "जिसके पास अपनी चादर न हो उसे कोई दूसरी बहन (औरत) अपनी चादर दे दे।"(बुख़ारी-980,तिर्मिज़ी-465, अबुदाऊद-1123)

पता चला कि सहाबियात रज़ि. (पर्दे के अहकाम नाज़िल होने के बाद) चादर के बग़ैर घरों से नहीं निकला करती थीं।

3. ''औरत की नमाज़ घर में उसकी सहन (आंगन) की नमाज़ से अफ़ज़ल है और कमरे में नमाज़ खुले मकान से बेहतर ओ अफ़ज़ल है।'' (इब्ने मसऊद रज़ि. –अबुदाऊद–567)

''वोह औरत जो मस्जिद जाने के लिए ख़ुश्बू लगाती है, उसकी नमाज़ कुबुल नहीं होती। जब तक कि वह जिनाबत की तरह गुस्ल न कर ले।'' (अबि हुरैरा रज़ि.– अबुदाऊद–जिल्द 3 हदीस–772)

''अगर कोई औरत महकती ख़ुश्बु लगाकर निकलती है और मर्दों तक उसकी महक पहुंचती है तो यह उसके बदकार होने की अलामत है क्योंकि वोह दूसरों को अपनी तरफ़ मुतवज्जह करती है।'' (अबिमूसा अशअरी रज़ि.–तिर्मिज़ी–2565)

''औरत जब बे पर्दा (घर से) निकलती है तो शैतान उस से शैतानियां करवाता है और अपना खेल खेलता है।'' (इब्ने मसऊद रज़ि–तिर्मिज़ी)

''वोह औरतें जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती है। खुद दूसरों की तरफ़ माइल होती हैं और दूसरों को अपनी तरफ़ माइल करती हैं। वोह जन्नत में नहीं जायेंगी और न जन्नत की ख़ुश्बु पायेंगी।'' (मुस्लिम–5861, अबु हुरैरा रज़ि.)

उम्मे सलमा रज़ि. का बयान है कि मैं और मैमूना रज़ि. आप सल्ल. के पास बैठी थीं कि इब्ने उम्मे मकतूम रज़ि. (जो नाबीना थे) तशरीफ़ लाये तो आप सल्ल. ने हमें उनसे पर्दा करने का हुक्म दिया।'' (तिर्मिज़ी–2557, अबुदाऊद–जिल्द 3, हदीस–711)

''आईशा रज़ि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. सुबह की नमाज़ पढ़ाते तो कुछ औरतें भी आपकी इक़्तेदा में नमाज़ के लिए चादरों में लिपटी हुई मस्जिद आती। नमाज़ के बाद जब वह अपने घरों को लोटतीं तो अन्धेरे की वजह से कोई उन्हें पहचान न पाता।'' (बुखारी–372,667,872, तिर्मिज़ी–132)

4. उम्मे सल्मा रज़ि. ने सवाल किया कि औरतें अपनी चादरें किस हद तक लटकाएं ? तो रसूल सल्ल.ने फ़रमाया ''एक बालिश्त भर लटका लें।'' इस पर उम्मे सल्मा रज़ि. ने अर्ज़ किया कि इस तरह तो उनके पांव नज़र आऐंगे। तो फ़रमाया ''एक हाथ के बराबर लटका लें उससे ज़्यादा नहीं।'' (तिर्मिज़ी–156, अबुदाऊ–जिल्द 3 हदीस–716)

इस हदीस से दलील मिलती है कि जब पांव ढांपना जरूरी है तो चेहरा ढांपना उससे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिये। इसलिए कि कशिश पांव के मुक़ाबले चेहरे में ज़्यादा होती है।

5. ''आयशा रज़ि. का बयान है कि जब हम रसूल सल्ल. के साथ एहराम बांधे हुए थीं और ऊंट सवार क़ाफ़िले हमारे पास से गुज़रते थे। तो जिस वक़्त सामने होते तो हम अपने सरों के ऊपर से चादर चेहरों तक लटका लेते।'' (अबु दाऊद जिल्द 2 हदीस – 69, इब्नेमाजा–2935)

अगर गैर महरम मर्दो से पर्दा करना और चेहरा छिपाना ज़रूरी न होता तो एहराम की हालत में उसके खुला रखने के हुक्म का क्या मतलब रह जाता?

एक और हदीस में है कि ''एहराम की हालत में औरत के लिए नक़ाब डालना और दस्ताने पहनना जायज़ नहीं हैं।'' (आईशा रज़ि.–बुखारी–1544, इब्ने उमर रज़ि. –नसाई–2685)

इब्ने तिमियां रह. कहते हैं कि यह हदीस इस बात की दलील है कि नबी सल्ल. के ज़माने में एहराम की हालत के सिवा औरतों में (चेहरों के पर्दे के लिए) नक़ाब और (हाथों के

लिए) दस्तानों का रिवाज आम था।

बे पर्दगी के कुछ नुक़्सानात

1. फ़ितने (आज़माइश) में पड़ना– औरत जब अपने चेहरे को खुला रखती है तो अपने आप को फ़ित्ने में डालती है। इसलिए कि उसे उन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है जिससे उसका चेहरा हसीन और दिल कश दिखाई दे।

2. शर्म व हया जाते रहना– बे पर्दगी की वजह से औरत के ज़मीर से अक्सर शर्म व हया जाती रहती है। जो ईमान का हिस्सा और फ़ितरत का लाज़िमी तक़ाज़ा है।

3. मर्दो का फ़ित्नों में पड़ना– बे पर्दा औरतों को देखते रहने की वजह से मर्द भी आज़माइश का शिकार हो जाते हैं। खासकर तब जब बेपर्दा औरत ख़ूबसूरत भी हो। साथ ही मिलन सारी, खुश कलामी या हंसी–मज़ाक का मज़ाहिरा भी करे।

4. मर्द व औरत का आज़ादाना मेल–जोल– चेहरे की बे पर्दगी की वजह से औरतों–मर्दो का मेल–जोल अमल में आता है। जो बिलआख़िर शर्म व हया जाते रहने और बिगाड़ का स बब बनता है।

इब्ने तिमिया रह. फ़रमाते हैं कि ''हिजाब (पर्दे) की आयत। (अहज़ाब–59) नाज़िल होने से पहले औरतें चादर ओढ़े बिना निकलती थी और मर्दो की नज़र उनके हाथ और चेहरे पर पड़ती थी। जब यह आयत नाज़िल हो गई तो औरतें पूरा पर्दा करने लगी। ''(मजमुआ अल फ़तावा–जिल्द 22 सफ़ा 110)

अब औरत के लिए चेहरा, हाथ और पांव ग़ैर मर्दो को दिखाना जाइज़ नहीं है बल्कि कपड़े के सिवा कोई भी चीज़ ज़ाहिर नहीं कर सकती।(मजमूआ अल फ़तावा–जिल्द–22 सफ़ा–114)

औरतों का बे पर्दा (चेहरा खुला रख कर) बाहर निकलना तमाम अहले–इस्लाम के नज़दीक मना है। (अल मिन्हाज–फ़िक़्ह शाफ़ई की मशहूर किताब)

औरतों का बे पर्दा खुले चेहरे के साथ बाहर निकलना खासकर ऐसे ज़माने में जब बुरे लोगों की अक्सरियत हो– बा इत्तेफ़ाक़ अहले इस्लाम हराम है। (नील अल अवतार शरह मसक़ी अल अख़बार)

चेहरा बे पर्दा रखने को जाइज़ क़रार देने की दलील और उसका जवाब

1. ''सिवाए उस ज़ीनत के जो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए'' (सूरह नूर 31) इमाम आमश ने सईद बिन जबीर रह. के वास्ते से इब्ने अब्बास रज़ि. का क़ौल इस आयत की तफ्सीर में नक़ल किया है कि इससे मुराद औरत का चेहरा, हाथ और उसकी अंगूठी है।

जवाब– इब्ने अब्बास रज़ि. की तफ्सीर के मुक़ाबले में इब्ने मसऊद रज़ि. की तफ्सीर है। जिसमें इस आयत से मुराद चादर और दूसरे ऐसे कपड़े हैं, जो बहरहाल ज़ाहिर होते हैं और जिन्हें ढांपा नही जा सकता। दूसरे यह कि इमाम इब्ने तिमियां रह. के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ि. ने पर्दे की आयत नाज़िल होने से पहले की हालत बयान की है।

2. आएशा रज़ि. से रिवायत है कि अस्मा बिन्ते अबिबकर रज़ि. बारीक कपड़े पहने हुए रसूल सल्ल. के पास आई तो आप सल्ल. ने चेहरा दूसरी तरफ़ फेर लिया। फिर चेहरे और हाथों की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया ''ऐ अस्मा! जब औरत बालिग़ हो जाए तो जाइज़ नहीं कि उसके चेहरे और हाथों के सिवाए कुछ नज़र आए। (अबुदाऊद)

जवाब– ख़ालिद बिन दरीक ने जिस रावी के वास्ते से आईशा रज़ि. से रिवायत की है,

उसका जिक्र नहीं किया। लिहाजा सनद मुन्क़तअ है। इस हदीस के ज़ईफ़ होने की यही वजह अबुहातिम राज़ी ने भी बयान की है।

इस हदीस का एक और रावी सईद बिन बशीर है जिसे इब्ने महदी ने भरोसे के क़ाबिल नहीं समझा और तर्क कर दिया। इमाम अहमद, इब्ने मोईन, इब्ने मदीनी और नसाई रह. ने उसे ज़ईफ़ कहा, लिहाजा यह हदीस ज़ईफ़ है।

इसके अलावा यह कि हिजरत के वक़्त अस्मा रज़ि. की उम्र 27 साल थी। यह नामुमकिन है कि वह इस उम्र में आप सल्ल. के सामने ऐसे कपड़े पहनकर जाएं जिनसे उनके हाथों और चेहरे के अलावा बदन नज़र आए। यह भी मुमकिन है कि यह वाक़िआ पर्दे के हुक्म नाज़िल होने से पहले का हो।

3. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि. से रिवायत है कि नबी सल्ल. ने ईद की नमाज़ पढ़ाई। खुत्बा दिया और वअज़ व नसीहत की। फिर चल कर औरतों के क़रीब गये। उनसे भी खिताब किया और नसीहत की और फ़रमाया ''ऐ औरतों की जमाअत सदक़ा किया करो क्योंकि जहन्नम का ईंधन ज़्यादातर तुम (औरतें) ही हो। इस पर एक औरत जिसके गाल सांवले थे उठी।'' बताना यह है कि अगर औरत का चेहरा खुला न होता तो जाबिर रज़ि. रज़ि. को उसका रंग कैसे पता चलता? (बुख़ारी)

जवाब– इस हदीस में यह साफ़ नहीं है कि यह किस साल का वाक़िआ है। यह भी मुमकिन है कि वह औरत बूढ़ी हो जिन्हें चेहरा खुला रखने की इजाजत है। या फिर यह वाक़िआ पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले का हो क्योंकि पर्दे की आयत 5 या 6 हिजरी में नाज़िल हुई है जबकि नमाज़े ईद 2 हिजरी से पढ़ी जाने लगी थी।

अक्सर यह देखा जाता है कि जिन बूढ़ी औरतों को चेहरा खुला रखने की इज़ाजत है वह तो चेहरा ढापे हुए होती हैं। लेकिन तक्लीफ़ देह बात यह है कि जवान औरतें जिन्हें मुकम्मल पर्दा करना चाहिये, उनमें से अक्सर चेहरा खुला रखती हैं बल्कि कुछ के सर पर दुपट्टे भी नहीं होते। इसलिए हमे चाहिये कि हम अपने घर की औरतों को (चाहे वह हमारी बहन,बेटी,मां, या बीवी हो) पर्दा करने की तल्क़ीन करें ताकि वोह अल्लाह की नाफ़रमानी करने से बचें और अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक़ न बनें।

मुस्लिम ख्वातीन से दरख्वास्त है कि वह पर्दे का एहतेमाम करें और अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़तदार बनें।

अल्लाह तअला से दुआ है कि वह हमारी औरतों को दीन की मुहब्बत और समझ अता फ़रमाए। और हमे हक़ बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। आमीन!

आप हज़रात से अपील है कि अगर आप हमारी इस काविश से सहमत हैं तो इसे आम करने में हमारे साथ तआवुन करें।

वास्सलाम
आपका दीनी भाई
मुहम्मद सईद
मो.09214836639

अहले इल्म हज़रात से गुज़ारिश है कि
हमारी गलती पर हमारी इस्लाह फ़रमाए।
दिनांक 5/05/2009